

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.४(ग)(जकशि)नियम()डीएलबी/17/14302-14303जयपुर,दिनांक:- १०।६।२०१७

आयुक्त/अधिकारी/अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका/ए.
समस्त राजस्थान।

विषय:- मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों के दौरान वितरित किये जाने वाले पट्टों पर फोटो एवं लोगों अंकित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के निर्णयानुसार निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों के दौरान वितरित किये जाने वाले पट्टों के सबसे ऊपर बायें से दायें कोने पर संलग्न प्रारूप के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदया की फोटो एवं दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष का लोगों अंकित करते हुये पट्टे स्थानीय स्तर पर प्रिन्ट कराये जावें।

पूर्व से प्रिन्टेड पुराने पट्टों के प्रारूप को इन शिविरों के दौरान काम में नहीं लिया जावें। शिविरों के दौरान नवीन प्रारूप में फोटो एवं लोगों अंकित पट्टे ही दिनांक 11.05.2017 से वितरित किये जावें।

समयमाव के कारण यदि दिनांक 11.05.2017 को जारी होने वाले पट्टों के नवीन प्रारूप को प्रिन्ट कराने में अगर कोई कठिनाई हो तो कम्प्यूटर से कलर प्रिन्ट-आउट लेकर भी व्यवस्था की जा सकती हैं।

संलग्न- प्रारूप

(मुकेश कुमार भीणा)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक:प.४(ग)(जकशि)नियम()डीएलबी/17/14304-14303दिनांक:- १०।६।२०१७
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
- निजी सचिव, महापौर/समापति/अध्यक्ष, समस्त नगरीय निकायें, राजस्थान।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग राज० जयपुर
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
- जिला कलकर्ता, समस्त राजस्थान।
- संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय) नगरीय विकास विभाग राज० जयपुर को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ विकास प्राधिकरणों/मण्डलों/नगर सुधार न्यासों को उक्तानुसार परिपत्र की पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु प्रेषित है।
- मुख्य नगर नियोजक राजस्थान जयपुर।
- उप निदेशक(क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
- सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक



पट्टे का प्रारूप



श्रीमती जयन्थिरा राजे, माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान तरकार